सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)–**342037**

E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-VI/ 6565 **Dated:**

02 JUL 2024

–: संशोधित कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की **19**वीं बैठक, दिनांक **01 जुलाई, 2024** को दोपहर **12.30** बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–11) विभाग, जयपुर – ऑनलाइन
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान)
3. श्री दिनेश कुमार, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर – ऑनलाइन
   (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान)
4. श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस आयुक्त, जोधपुर
   (प्रतिनिधि : महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर)
5. डॉ. हरिशंकर मेवाड़ा, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग – ऑनलाइन
   (प्रतिनिधि : प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार)
6. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान – ऑनलाइन
7. श्री भूपेन्द्र यादव, उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर – ऑनलाइन
   (प्रतिनिधि : निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर)
8. प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर– ऑनलाइन
9. प्रो. हरप्रीत कौर, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
11. श्री सिद्धार्थ चारण, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, एसपीयूपी, जोधपुर
12. डॉ. डिम्पल पवार आर्य, उप कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर (सहायतार्थ)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित (Online/Offline) सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु संख्या– 01	:	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 18वीं बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। ओमेन्द्र भारद्वाज, सदस्य महोदय ने बैठक में अवगत कराया कि पूर्व में प्रबंध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय की पूर्व कुलसचिव श्रीमती निर्मला मीणा द्वारा 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के प्रकरण को प्रत्येक प्रबंध बोर्ड में एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, सदस्य महोदय ने बैठक में सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के प्रकरण के संबंध में प्रगति एवं जानकारी इस बैठक के कार्यवाही विवरण में लिए जाएं। माननीय कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा जा चुका है व उनके स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। उक्त संबंध में माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि यह प्रबंध बोर्ड की बैठक 08 जुलाई, 2024 को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह हेतु डिग्री अनुमोदन हेतु आयोजित की गई है। भविष्य में विश्वविद्यालय के 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के प्रकरण को प्रत्येक प्रबंध बोर्ड की बैठक के एजेण्डा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। **निर्णय** : प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या – 02	:	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 18वीं बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण। **निर्णय** : प्रबंध बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के कार्यवाही विवरणानुसार अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

बिन्दू संख्या – 03	:	विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 जून, 2024 के कार्यवाही विवरण पर विचार एवं अनुमोदन। माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद प्रथम बार 06 पीएच.डी. शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है। इस पर प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, सदस्य महोदय ने बधाई दी एवं उन्होंने बताया कि इससे विश्वविद्यालय में नये आयाम स्थापित होंगे। डॉ. ए. के. गहलोत ने भी विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कहा। **निर्णय** : बैठक में विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 जून, 2024 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दू संख्या – 04	:	विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क एवं संविधान स्तम्भ निर्माण किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन। माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में बताया कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय परिसर में 01 बीघा भूमि संविधान पार्क एवं संविधान स्तम्भ हेतु आरक्षित कर इसका निर्माण किसी राजकीय एजेन्सी से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को राष्ट्रीय संविधान से जुड़ी हुई जानकारी स्वतः ही समग्र रूप से प्राप्त होने के उद्देश्य से और विश्वविद्यालयों में एक समान संविधान स्तम्भ रखने हेतु वास्तुकारों द्वारा तैयार किया गया प्रारूप मय अनुमानित व्यय (46,71,784.00) विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त संबंध में प्रस्ताव बी.एफ.सी. बैठक में भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में सदस्यों को यह अवगत कराया कि वर्तमान में संविधान स्तम्भ निर्माण करने हेतु विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त फण्ड उपलब्ध है, यदि राज्य सरकार से उक्त संविधान स्तम्भ के लिए राशि प्राप्त नहीं होती है तो विश्वविद्यालय के फण्ड से निर्माण कराया जा सकता है।

		प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल, सदस्य महोदय ने बैठक में सुझाव दिया कि संविधान स्तम्भ का निर्माण जनता में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, अतः उसके निर्माण के समय ऐसे स्थान का चयन किया जाए कि अन्य विद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं तथा आमजन भी उसे देखने आ सके किन्तु विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। **निर्णय** : बैठक में सदस्य महानुभावों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार से उक्त संविधान स्तम्भ के लिए राशि प्राप्त नहीं होती है तो विश्वविद्यालय के फण्ड से निर्माण कराये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

प्रो. अविनाश अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर द्वारा डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलम्बित) द्वारा दिनांक 30.06.2024 को भेजे गये ई–मेल के बारे में जिक्र किया गया। इस पर कुलपति महोदय द्वारा सूचित किया गया कि डॉ. विजय सिंह श्योराण पिछले 02 वर्षों से निलम्बित है तथा उस पर पेपर लीक एवं छात्रा के यौन शोषण के आरोप है, जिनमें कुल 3 एफ.आई.आर. दर्ज है तथा पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश की जा चुकी है, प्रबंध बोर्ड द्वारा अभियोजन स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। विश्वविद्यालय स्तर पर पेपर लीक प्रकरण में जांच पूरी हो चुकी है व यौन शोषण मामले की जांच चल रही है। कुलपति महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि डॉ. विजय सिंह द्वारा उस पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही करने के बाद से ही विभिन्न विभागों और संस्थानों को अनर्गल ई–मेल भेजे जा रहे है।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर